फर्द अहकाम

नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

कृष्ण कुमार आदि बनाम होली होमस् जरिये देवेन्द्रसिंह आदि

किस्म मुकदमा – 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बरः– 116 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
11.12.20285	आज यह प्रार्थना पत्र वावत अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया। प्रकरण पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के वाद प्रकरण दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी ग्राम ढाणी खोखरान के खाता संख्या 72 के खसरा संख्या 85 की 1.5810 है0 बारानी व खाता संख्या 82 के खसरा संख्या 86 की 2.6820 है0 बारानी है0 भूमि में उक्त दोनो खसरा के पश्चिम की ओर से इन दोनो खसरों के मध्य से खसरा सख्या 84 की दक्षिणी पूर्वी कुट से प्रार्थीगण के खसरा संख्या 92 की भूमि तक सवा आट फुट चौड़े चालु रास्ता को बन्द नहीं करें एवं रास्ता की भूमि पर कोई निर्माण आदि कर अवरूद्ध नहीं करें। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/नोटिस से करवाई जाकर रसीदें पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.01.2026 को पेश हो। भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा	
27/1/26	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित चूंकि प्रार्थी के निवेदन पर मूल प्रार्थना-पत्र विड्रा किया जा चुका है अतः प्रार्थना-पत्र 212 RTA स्वतः ही औचित्यहीन होने के कारण पत्रावली में दिनांक 11.12.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पत्रावली [illegible] स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो Bhagirath Ram उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested